प्रतिरक्षा भारती
Pratiraksha Bharti

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का मुख पत्र

जुलाई २०२४ • वर्ष-विंशति (२०) • अंक ०७ • मूल्य : १० • वार्षिक मूल्य : १२०

देश के विभिन्न रक्षा संस्थानों में कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन एवम् ज्ञापन देते भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के कार्यकर्ता

19 जुलाई को देश भर में नौ सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन

सम्पादक की कलम से

– श्री साधू सिंह

प्रिय मित्रों

नमस्कार आप सभी बन्धुओं और बहिनों को भारतीय मजदूर संघ के 69 वर्ष पूरे होने और 70 वें वर्ष 23 जुलाई 2024 को पूरे हो चुके है, सभी बन्धुओं और बहिनों को बहुत बहुत बधाई। कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों और कुशल नेतृत्व के कारण हम शून्य से प्रारम्भ करके आज नंबर 1 के संगठन बन चुके है। हमारा लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिये हमें यह नहीं घोषणा करना चाहिये कि हम शून्य से शिखर तक पहुंच गए है। यह कहना उचित नहीं होगा क्योंकि शिखर पर पहुंचने के बाद और कोई स्थान नहीं होता अर्थात शिखर के बाद नीचे ही आना होता है। हमें निरन्तर आगे बढ़ना है जिसके लिये हम सभी प्रयासरत है। हमें प्रतिवर्ष एक लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना है। प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में यदि देखें तो हम अभी तक दूसरे क्रमांक पर पहुंचे है। नम्बर 1 पर पहुंचने का लक्ष्य अब ज्यादा दूर नहीं। हमें अपने प्रयासों को तेज करना है और निरन्तर आगे बढ़ना है। जहाँ कहीं हमारे अंदर शिथिलता आ गई है वहां पर सक्रिय होकर काम करना है। हमें कर्मचारियों के बीच रहना है और उनकी रोजमर्रा की समस्याओं को हल करना है। कर्मचारियों के साथ हमारे सम्बन्ध पारिवारिक हों आत्मीय हों यह स्वभाव में लाना है। उनके साथ संवाद हमेशा जारी रखना है। हमें कर्मचारियों की और अपने संस्थानों की समस्याओं पर अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता जारी रखने की आवश्यकता है। जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर आंदोलन की जरूरत होती है तो आंदोलन भी करना है। महासंघ और भारतीय मजदूर संघ द्वारा तय कार्यक्रम को पूरी लगन से करना है। पक्ष और विपक्ष की राजनीति से दूर हटकर काम करना है। आज हम देखते है कि राजनीति को लेकर सामान्य कर्मचारियों से भी विवाद करने लगते है। हमें राजनीति से अलग हटकर संगठन के बारे में सोचना है। कुछ हमारे साथी संगठन, हमें सत्तारूढ़ सरकार के साथ जोड़कर भ्रम फैलाकर हमें कमजोर करने की कोशिश करते है। इसका हमें उचित जबाब देना है। आज देखने में आता है कि कुछ लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते है लेकिन वह स्वयं वर्तमान सरकार की गोद में बैठकर कर्मचारियों को धोखा देते नजर आते है। चुनाव में आपने देखा ही है कि बड़े बड़े कामरेड सरकार की तारीफ करते हैं। चुनाव जिताने की अपील करते है। यह लोग कर्मचारियों से गद्दारी करते है। एक संगठन को कारपोरेशन के साथ गद्दारी करते आप लोगों ने देखा है। आप सब समझते हैं और यह सब गद्दारी कर्मचारियों से कर रहे होते हैं। इनको बेनकाब करते हुए अपना कार्य करना है।

मित्रों इस बार 23 जुलाई को एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा था। स्थापना दिवस के दिन वर्ष 2024,2025 का आम बजट माननीया वित्त मंत्री महोदया प्रस्तुत कर रहीं थीं, भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के दिन बजट प्रस्तुत हो रहा था लोगों को बहुत अपेक्षा थी कि भारतीय मजदूर संघ ने बजट पूर्व हुई चर्चा में जिन मुद्दों को उठाया उनमें से कुछ तो पूरा होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकारी कर्मचारियों को ठेंगा दिखाने का काम तो सरकार ने किया ही अन्य बातों को भी पूरी तरह से नकार कर सरकार ने यह घोषणा कर दी कि अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। जैसे चुनाव के समय घोषणा हुई कि अब हम सशक्त हो चुके हैं अपने दम पर लड़ रहे है अब संघ की जरूरत नहीं वैसे ही आम बजट में यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय मजदूर संघ की जरूरत नहीं। यही कारण है कि वित्त मंत्री महोदया ने बजट भाषण में NPS को लेकर नेशनल कॉउन्सिल JCM के बारे में बहुत तारीफ की लेकिन भारतीय मजदूर संघ का कहीं नाम तक नहीं लिया। जबकि भारतीय मजदूर संघ ने बजट पूर्ववार्ता में महत्वपूर्ण और सकारात्मक मुद्दे उठाए। 22नबम्बर 2023 को वार्ता में भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

मित्रों 8वां वेतन आयोग, OPS, रिक्त स्थानों को भरना, आयकर में छूट, अनुकम्पा नियुक्तियों, पेंशनरों के हित आदि पर कुछ करना है तो हमें निरन्तर आंदोलन करने होंगे। इस सरकार से कुछ नहीं मिलना। इसी सरकार के समय पूर्व वित्तमंत्री स्व. अरुण जेटली जी ने कर्मचारियों को बहुत कुछ दिया। जैसे NPS में ग्रेच्युटी, फैमिली पेंशन और सरकार ने अपना अंश 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया। बोनस की सीलिंग दोगुनी की, डिफेन्स कर्मचारी जो सिविलियन हैं उन्हें CSD की सुविधा उपलब्ध कराई।

❐

सामाजिक दर्शन

डॉक्टर हेडगेवार ने हिंदू संगठन के कार्य को दो विशेषणों से अलंकृत किया था। पहला––संघ–कार्य ईश्वरीय कार्य है, और दूसरा– यह राष्ट्रीय कार्य है। दूसरे शब्दों में, डा. हेडगेवार की हिंदू संगठन की अवधारणा दो बातों को समाविष्ट करती है––प्रथमतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठनात्मक गतिविधियों का लक्ष्य राष्ट्र की सबलता है और इसके प्रति प्रतिबद्धता आध्यात्मिक चेतना एवं क्रियाशीलता के समान है; द्वितीयतः, उनके द्वारा हिंदू का संगठन की यह सांकेतिक व्याख्या पूर्व के हिंदू संगठनकर्ताओं के दृष्टिकोण से आधारभूत भिन्नता रखती है। हिंदू संगठन के कार्य को राष्ट्रीय जागरण का कार्य समझना संघ का अधिष्ठान था। इस प्रकार संगठन कार्य को अनवरत, स्वाभाविक और सकारात्मक रूप मिला। डा. हेडगेवार मानते थे कि मनुष्यों को संस्कारित करना, उनमें समष्टि का भाव जगाना और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना एक आध्यात्मिक कार्य है।

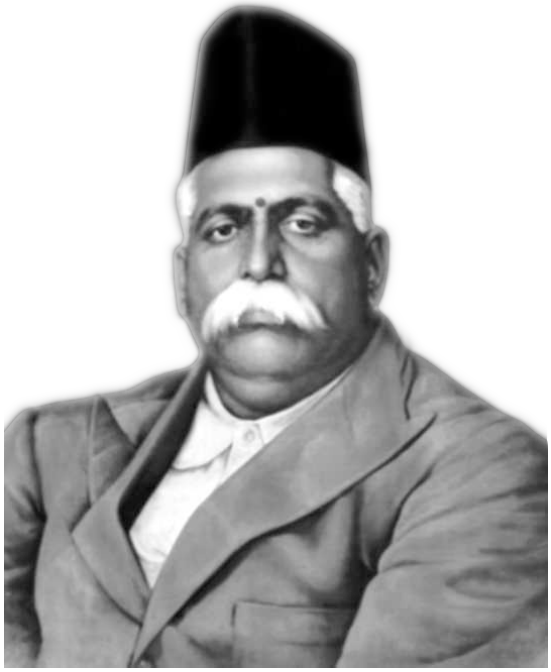

संघ से पूर्व की एवं इसकी समकालीन हिंदू संस्थाओं का लक्ष्य एकांगी था। इसका एक वर्ग, यथा–जात–पात तोड़क मंडल, आर्य समाज इत्यादि सामाजिक जीवन में परिष्कार एवं धार्मिक चेतना के विकास का पक्षधर था तो हिंदू महासभा जैसे संगठन हिंदू राजनीतिक चेतना के विकास के पक्षधर थे। पहली श्रेणी के संगठन सामाजिक–धार्मिक चेतना से राजनीतिक चेतना को उत्पत्ति देखते थे तो दूसरी श्रेणी के संगठन राजनीतिक एकता के लिए सामाजिक समानता को आवश्यक समझते थे। संघ का दृष्टिकोण समग्रतावादी था। डा. हेडगेवार हिंदू संगठन की तो बात करते थे, परंतु उन्होंने हिंदू चेता का आधार समुदाय को न बनाकर व्यक्ति को बनाया अर्थात उनका लक्ष्य था–प्रत्येक हिंदू में एक व्यक्ति के नाते नवीन संस्कार भरना। और यही व्यक्ति हिंदू राष्ट्र के घटक के रूप में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं अन्य आयामों को समग्र रूप से देखता है। यही कारण है कि वाह्य रूप से भले ही संघ अन्य हिंदू संगठनों की तरह प्रतीत होता है, परंतु सामाजिक जीवन पर इसकी छाप और इसका बढ़ता सामाजिक आधार डा. हेडगेवार की रचनात्मक राष्ट्रीय हिंदू जीवन पद्धति की कल्पना का ही मूर्त रूप है।

डा. हेडगेवार ने हिंदू संगठन के लक्ष्य की ओर इंगित करते हुए मई 1940 में पूना के संघ शिविर में कहा था कि "आज हमें यह समझना होगा कि हिंदुस्थान एक राष्ट्र है और हिंदू एक समाज है। हम सब इसके अंग हैं और समाज का प्रत्येक अंग राष्ट्र के लिए है। राष्ट्र रूपी इस विराट स्वरूप के सभी अंगों को इसकी पूर्णता के लिए कार्य करना चाहिए।"

डा. हेडगेवार ने हिंदुस्थान की राष्ट्रीयता को सांप्रदायिक चेतना अथवा औपनिवेशिक शासन विरोधी भाव के क्षणिक एवं अस्थायी संचार के रूप में न देखकर राष्ट्र के भीतर के ऐतिहासिक समाज के अंदर से प्रस्फुटित होने वाले सकारात्मक एवं स्थायी भाव के रूप में देखा था। एक सबल राष्ट्र का आधार अस्त्र–शस्त्र नहीं, बल्कि लोगों में राष्ट्रप्रेम की भावना और राष्ट्र के सम्मान की रक्षा में सर्वस्व न्योछावर कर देने की आत्मशक्ति में निहित रहता है। 30 अप्रैल 1938 को महाराष्ट्र हिंदू युवक परिषद के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण करते हुए उन्होंने कहा था कि 'यह कहा जाता है कि हमारे पास शस्त्र नहीं हैं, शिक्षा नहीं है, फिर हम क्या करें ? हम कमजोर हैं इसीलिए हम स्वतंत्रता खो बैठे। यह रोने वाली कार्य–कारण मीमांसा कितनी ठीक है, इसका विचार कीजिए... आज हम कमजोर हैं और हममें आत्मविश्वास की कमी है। इसका एकमात्र कारण सामूहिक चिंतन और संस्था का अभाव है। राष्ट्र की प्रत्येक गतिविधि के साथ हमारे शरीर में भी समरूप गतिविधि होनी चाहिए। मैं और राष्ट्र दोनों एक ही हैं, ऐसा समझकर जो राष्ट्र से तन्मय हो, वही सच्चा राष्ट्रसेवक है।"

डा. हेडगेवार 'राष्ट्सेवक' के इसी मापदंड से तत्कालीन सांप्रदायिक प्रश्न को देखते थे।

विघटनकारी मनोवृत्ति

उनके अनुसार सांप्रदायिकता की राजनीति राष्ट्र को कमजोर एवं विघटित करने का माध्यम है। सांप्रदायिकता के साथ राष्ट्रीय राजनीति में समझौते पर प्रहार करते हुए उन्होंने 'स्वातन्त्र्य' में

लिखा था– 'जब से स्वराज्य के लिए जबरदस्त संघर्ष शुरु हुआ है, हिंदू एवं मुस्लिम के बीच खाई बढ़ती जा रही है। नेताओं ने पहले अनेंक तरह से मतभेद कम करने की असफल कोशिश करी। तब उन्होंने लेन–देन (Give and Take) के आधार पर बंगाल समझौता किया। इस समझौते का क्या महत्व है? इसका तात्पर्य है– मुसलमानों को विशेष सुविधा देकर उनका सहयोग प्राप्त करना। इस पर गहराई से सोचने पर स्थिति अत्यंत ही दुखदायी प्रतीत होती है। क्या स्वराज्य सिर्फ हिंदुओं के मतलब का है? वास्तव में यह देश के सभी लोगों के लिए महत्व का है। तब फिर मुसलमान स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए विशेष सुविधा हासिल करने की पूर्व शर्तें क्यों रखते हैं?"

डा. हेडगेवार का निष्कर्ष था कि हिंदुओं में राष्ट्रीयता के आधार पर संगठन के निर्माण से राष्ट्र विरोधी एवं सांप्रदायिक प्रवृत्ति का अंत हो जाएगा। उन्होंने 1979 में नागपुर में राष्ट्रीय उत्सव मंडल की स्थापना की थी। इसने हिंदू उत्सवों में क्रियाशील होकर राष्ट्रीयता के भाव का संचार किया। संगठन का उद्देश्य था– "लोगों में देशभक्ति की भावना जाग्रत करके उन्हें जातीय एवं संप्रदायों कौ चेतना से ऊपर उठाना।'' मंडल ने हिंदुओं को उत्सवों के दौरान मुस्लिम विरोधी नारे लगाने से रोकने में सफलता हासिल की। डा. हेडगेवार की सहायता सात लोगों की कार्यसमिति करती थी।

मध्यप्रांत में गणेश की प्रतिमा के विसर्जन एवं हिंदू उत्सवों में बाजे के प्रयोग पर मुसलमानों की आपत्तियां होती थीं, जो जब–तब दंगे का स्वरूप ले लेती थीं। सितंबर–अक्टूबर 1923 में गणेश की प्रतिमा को लेकर जब दंगा हुआ तब प्रांतीय कांग्रेस समिति ने शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए एक उपसमिति का गठन किया, जिसमें डा. हेडगेवार, डा. मुंजे, डा. परांजपे और जी ए ओगले थे। एक खिलाफत उपसमिति भी बनी थी जिसमें मैफसल कबीर, आबिद अली, डा. हेडगेवार, डा. एम. आर. चोलकर, विश्वनाथराव केलकर आदि लोग शामिल थे।

नागपुर में सांप्रदायिकता की समस्या का मुख्य कारण धार्मिक दबंगता एवं हठ था और औपनिवेशिक प्रशासन मुस्लिमों का तुष्टीकरण करके उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करता था। 30 अक्टूबर 1923 को नागपुर के जिलाधीश ने दिंडी जुलूस पर रोक लगा दी। दिंडी जुलूस हिंदुओं द्वारा अक्टूबर–नवम्बर माह में भजन मंडली के रूप में निकाला जाता था। सरकारी आदेश के विरुद्ध हिंदुओं में तीव्र रोष था। इसका प्रतिकार करने के लिए नागपुर में सत्याग्रह किया गया, जिसे दिंडी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 1 नवंबर से 10 नवंबर तक चले इस सत्याग्रह में हजारों लोग शरीक हुए। इसमें राजा लक्ष्मणराव भोंसले, डॉ. चोलकर, डॉ. मुंजे, डॉ. हेडगेवार, ना. भा. खरे आदि प्रमुख नागरिकों ने भाग लिया। ढाई सौ लोग गिरफ्तार हुए। डॉ. हेडगेवार ने 8 नवंबर को सत्याग्रह किया था। अंत में स्थानीय प्रशासन को झुकना पड़ा। 12 नवंबर 1923 को प्रशासन ने शांति स्थापना के लिए एक समिति बनाई, जिसमें डॉ. हेडगेवार भी थे।

हिंदू–मुस्लिम दंगों में कमी आई। सिर्फ नवंबर माह में ही दो बार दंगा भड़का। डॉ. हेडगेवार के साहसी कदम ने 19 नवंगर के दंगे को फैलने से रोका था।

इसी तरह एक विवाद पूना में 1937 में उत्पन्न हुआ था। मुसलमानों की आपत्तियों को मानते हुए सरकार ने वहां के सोन्यामारुति मंदिर का घंटा बजाने पर 24 अप्रैल से 14 मई तक प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही किसी भी प्रकार के बाजे के प्रयोग पर भी प्रतिबंध था। डॉ. हेडगेवार को प्रशासन की तुष्टिकरण की नीति एवं मुस्लिम समुदाय के असहिष्णु व्यवहार पर दुख था। पूना में संघ का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा था। वहां के स्थानीय हिंदू नेताओं की संघ से अपेक्षा थी कि इस प्रतिबंध के खिलाफ होने वाले सत्याग्रह में संघ बढ़–चढ़कर भाग ले। लेकिन डॉ. हेडगेवार का स्पष्ट मत था कि हिंदू समाज संकट आने पर ही जागता है इसीलिए ऐसी घटनायें घटती रहती हैं। समाज को सतत् जागृत रहने की आवश्यकता है। स्थानीय हिंदू नेता उनकी दृष्टि को समझ पाने में असमर्थ थे। हेडगेवार में संघ का प्रशिक्षण वर्ग पूरा होने के बाद स्वयं सत्याग्रह में 13 मई को भाग लिया। वह गिरफ्तार भी हुए। कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। न्यायालय में उनके स्थान पर ए. जी. अभ्यंकर उपस्थित हुए। न्यायालय ने इसकी अनुमति दे दी। 17 मई को न्यायालय ने मुकदमें का फैसला सुनाया और उन्हें 25 रुपये के जुर्माने की सजा दी। वह ऐसी घटनाओं को राष्ट्रीय परम्परा के विवरीत मानते थे। उन्हें विश्वास था कि हिंदू संगठनकी उपस्थिति मात्र से इस प्रकार की मनोवृत्ति एवं प्रशासनिक षडयंत्र–दोनों को विफल किया जा सकता है।

उनकी मान्यता उनके अपने अनुभवों एवं सामाजिक परिस्थितियों के विश्लेषण पर आधारित थी। उन्होंने कहा कि ''संघ किसी से द्वेष नहीं करता है। यह सिर्फ हिंदुओं को संगठित करने का कार्य करता है। इसका उद्देश्य राष्ट्र, धर्म एवं संस्कृति का संरक्षण करना है। फिर इसे जब सांप्रदायिक कहा जाता है तो मुझे घोर आश्चर्य होता है।'' डॉ. हेडगेवार का विश्वास था कि हिंदू समाज में व्याप्त अनेकता एवं संकीर्ण वृत्तिययों के कारण ही देश की स्थापित जीवन पद्धति एवं धार्मिक सहिष्णुता का तिरस्कार सांप्रदायिक ताकतों द्वारा हो रहा है। इसीलिए हिंदू जुलूसों, गौ शौभा यात्राा, धर्म– परिवर्तन की समस्याएं खड़ी हो रही हैं। अपने वैश्विक दृष्टिकोण के अनुकूल ही वह संघ के संगठन का विस्तार कर रहे थे एवं स्थानीय हिंदू नेताओं की सोच एवं संघ से उनकी अपेक्षाओं के कारण उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।

1926–27 में मध्यप्रांत में संघ की भूमिका इसका उदाहरण है। डॉ. हेडगेवार सांप्रदायिकता के इस विषैले माहौल में सकारात्मक भूमिका निभाते रहे। उनकी विश्वसनीयता भी बढ़ गई। उनके हस्तक्षेप के कारण ही गणेश प्रतिमा के विसर्जन के सवाल पर सितंबर 1926 में दो बार दंगा टल गया था। एक साल बाद सितंगर 1927 में नागपुर में भीषण दंगा हुआ, जिसमें 20 लोग मारे गए और 131 घायल हुए। इस दंगे के दौरान प्रतिदिन पचास हजार रुपये का नुकसान हुआ। दंगे के कारण पर प्रकाश डालते हुए सरकार की पाक्षिक रिपोर्ट में कहा गया था कि 'दंगे का तत्कालीन कारण मुसलमानों का जुलूस था। इसका आयोजन सह प्रदर्शित करने के लिए किया गया था कि जुलूस निकालना सिर्फ हिंदुओं का एकाधिकार नहीं है। यद्यपि नागपुर में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं फिर भी वह अपने को अधिक पुरुषार्थी और दबंग मानते आये हैं।'

इस अवसर पर स्थानीय हिंदू नेताओं की अपेक्षा थ्री कि संघ के स्व्यंसेवक मुसलमानों का प्रतिकार करने के लिए आक्रामक रुख अपनाएंगे, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। डङॅ. हेडगेवार ने स्व्यंसेवकों को संवेदनशील स्थानों पर दंगा रोकने के लिए लगाया। इसका परिणाम यह हुआ कि दंगे पर जल्दी नियंत्रण पाया जा सका।

हिंदुओं में व्याप्त अनुशासनहीनता एवं धार्मिक उत्सवों के दौरान अव्यवस्था को दूर करने के लिए डङॅ. हेडगेवार ने 1926 से संघ के स्वयंसेवकों का उपयोग किया। रामटेक के रामनवमी मेले को सुचारु रूप देने के लिए नागपुर से दो सौ स्वयंसेवकों को भेजा गया। इस व्यवस्था से मुस्लिम एवं हिंदू – दोनों तरफ के अराजक तत्व डॉ. हेडगेवार से क्रेधित हुए। नागपुर एवं उसके आस–पड़ोस की मुस्लिम सांप्रदायिक ताकतों में डॉ. हेडगेवार प्रणीत संघ के अनुशासित संगठन से क्रोधित होना स्वाभाविक था। उन्हें यह लगने लगा कि अब वे पर्व, त्यौहारों के दौरान मनमानी, छेड़छाड़ या लूटपाट नहीं कर पाएंगे। इसी बीच स्वामी श्रद्धानंद की हत्या ने ऐसे तत्वों को मध्यप्रांत में भी प्रोत्साहित कर दिया।

इसी क्रम में डॉ. हेडगेवार को धमकी भरा पत्र मिला। इसमें लिखा था कि ' आपने रामटेक में मुसनमानों से शरारत की है। ख्याल रखना, एक वर्ष के अंदर तुम मुरगी सरीखे काटे जाओगे... ।'

4 जून को उन्हें इसी तरह का एक और पत्र मिला तथा नागपुर में उन पर आक्रमण की अनेंक अफवाहें उड़ती रहीं। लेकिन वह न तो उत्तेजित हुए, न ही स्व्यंसेवकों में सांप्रदायिक अथवा प्रतिक्रियावादी मानसिकता का विकास होने दिया। वह इन सब बातों को सतही मानकर टालते रहे। उन्होंने धमकी के सम्बन्ध में पुलिस तक को सूचना नहीं दी। तब डॉ. मुजे ने पुलिस तक शिकायत पहुंचाई थी।

राष्ट्रीय उत्सव मंडल की तर्ज पर संघ के स्वयंसेवकों ने गणपति उत्सवों में व्यवस्था का काम देखकर सभी अवांछित तत्वों से समाज को बचाना शुरु कर दिया। डॉ. हेडगेवार ने 1926 में कम्युनल एवार्ड विरोधी सम्मेलन में जो कलकत्ता में हुआ था, भाग लिया था। संघ ने 'कम्युनल एवार्ड' के विरोध एवं संयुकत मतदाता प्रणाली के समर्थन में मध्यप्रांत में सभा एवं रैलियों का आयोजन किया। परंतु इन रैलियों में 'बांटो और राज करो' की औपनिवेशिक नीति के खिलाफ भाषण किए गए और उसे मुसलमान विरोधी रैली नहीं बनने दिया गया।

डॉ. हेडगेवार की सोच कितनी सकारात्मक थी, इसका अनुमान 1934 की एक घटना से लगाया जा सकता है। 1932 के अंत में सरकारी कर्मचारियों को संघ में जाने पर मध्यप्रांत की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। एक साल बाद इस प्रतिबंध का दायरा बढ़ाकर उसमें स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों एवं शिक्षकों को शामिल किया गया। दूसरे प्रतिबंध से संघ का संगठन प्रभावित होता और संघ के लिए इसके विरुद्ध संघर्ष करना उसके जीवन–मरण का प्रश्न था। एस समय स्थानीय स्वशासन विभाग के मंत्री एम. वाई. शरीफ थे, जो सांप्रदायिक चरित्र के लिए कुख्यात थे। डॉ. मुंजे ने 15 जनवरी 1934 को लिखा कि ' मुस्लिम मंत्री ने संघ की जड़ पर आक्रमण किया है।' परन्तु डॉ. हेडगेवार ने इस दृष्टिकोण्ण में सच्चाई होते हुए भी इसे नजरअंदाज कर दिया और अपने पत्रों तथा नेताओं के साथ बैठकों में इसका जिक्र तक नहीं किया।

डॉ. हेडगेवार के राष्ट्रीय एवं सकारात्मक संगठनात्मक दृष्टिकोण के कारण ही संघ की विस्तार की प्रक्रिया से मध्यप्रांत अथवा देश के अन्य हिस्सों में सांप्रदायिक प्रश्न नहीं खड़ा हुआ।

आगे के वर्षों में संघ ने मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को अराष्ट्रीय घोषित करते हुए 'पाकिस्तान विरोधी दिवस' के कार्यक्रमों में भाग लिया। डा. हेडगेवार हिंदुस्थान को एक प्राचीन राष्ट्र मानते थे। वह मानते थे कि राष्ट्र के भीतर अलग–अलग पंथों के लोग रहते हैं परंतु 'राष्ट्र धर्मशाला नहीं होता है जिसमें जब जो चाहा, आकर रह लिया और चला गया। वह आगे कहते हैं कि राष्ट्र में रहने वाले सभी लोग 'एक विचार, एक आचार, एक सभ्यता एवं एक ही परंपरा के अभिमानी होते हैं। लीग का द्विराष्ट्रवाद धर्मपंथ के आधार पर अलग–अलग राष्ट्रीयताओं का प्रतिपादन कर रहा था। डॉ. हेडगेवार ने पांथिक बहुलता के प्रश्न पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि अन्य पंथों की उपस्थिति पर हिंदुस्थान में कभी भी प्रश्न खड़ा नहीं हुआ। वह कहते हैं:

'यदि दूसरे प्रेम एवं सहानुभूति से इस भूमि में बसना चाहें तो अवश्य बस सकते हैं। हमने उन्हें कभी मना नहीं किया है और न करेंगे। पारसह समाज के उदाहरण से हिंदुओं की उदारता का उपयुक्त परिचय मिलता है।'

❐

मृतक कर्मचारी के परिवार को मिलने वाले लाभ
CCS (Pension Rules, 1972 देखें

मृत्यु उपदान और छुट्टी नकदीकरण

यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान यू न जाती है, तो उसके परिवार को मृत्यु उपदान और छुट्टी नकदीकरण दिया जाएगा। विवरण के लिए लाभ संबंधी अध्याय देखें।

परिवार पेंशन

(i) जिस कर्मचारी की सेवा के दौरान अथवा सेवानिवृत्ति के बाद पेंशनर के रुप में मृत्यु हो जाती है उसके परिवार को परिवार पेंशन दी जाती है।

(i) परिवार में spouse (कानूनी रुप से अलग हुए spouse सहित), अविवाहित पुत्र (कानूनी रुप से गोद लिए सहित) 25 वर्ष की आयु तक और अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों (कानूनी रुप से गोद ली गई सहित) (चाहे आयु कुछ भी हो)। इसके 1.1.1998 से पूरी तरह आश्रित माता पिता को भी शामिल किया जाएगा (1.1.1998 से पहले मृत कर्मचारी के मामले में भी) जहाँ कर्मचारी की विधवा/विधुर, पात्र पुत्र अथवा पुत्री अथवा विधवा/तलाकशुदा पुत्री जीवित नहीं हैं, जिनका प्राथमिक दावा होगा। तथापि परिवार पेंशन केवल 1.1.1998 से दी जाएगी।

इसके अलावा, 17.8.2009 से, कर्मचारी/पेंशनर के आश्रित विकलांग सहोदर (अर्थात् भाई/ बहन) भी परिवार पेंशन के लिए पात्र होंगे।

1.1.2006 से 'परिवार' को निम्न वर्गों मे बांटा गया है:

वर्ग–I

(a) विधवा या विधुर, मृत्यु या पुनः विवाह की तिथि तक, जो भी पहले हो;

(b) पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित), उसके विवाह/पुनः विवाह की तारीख तक या उस तारीख तक जब वह कमाना शुरु कर दे या 25 साल की आयु तक, जो भी पहले हो।

वर्ग–II

(c) कुंवारी/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो ऊपर वर्ग–ए में नहीं आती, उसके विवाह/पुनः विवाह की तारीख तक या उस तारीख तक जब वह कमाना शुरु कर दे या उसकी मृत्यु की तारीख तक, जो भी पहले हो;

नोटः (1) एक मानसिक/शारीरिक रुप से विकलांग बेटे या बेटी को उसके विवाह/पुनःविवाह के बाद भी परिवार पेंशन मिलना जारी रहेगा।

(2) शारीरिक/मानसिक विकलांगता की सूचना न देना किसी व्यक्ति को परिवार पेंशन के लिए अपात्र नहीं बनाता। कर्मचारी/पेंशनर की या उसके पति/पत्नी की मृत्यु के बाद जारी विकलांगता प्रमाणपत्र, किसी ऐसी विकलांगता के लिए जो उनकी मृत्यु से पहले विद्यमान थी, को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जा सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि **(i)** विकलांगता के कारण वह व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए आय अर्जित करने में अयक्षम है और **(ii)** व्यक्ति निर्णायक तिथि को, अर्थात कर्मचारी/पेंशनर या उसके पति/पत्नी की मृत्यु की तिथि, जो भी बाद में हो, विकलांगता से पीड़ित था। यदि स्थायी विकलांगता के लिए प्रमाणपत्र जारी किया गया है तो उसे फिर से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

(d) माता–पिता जो सरकारी कर्मचारी पर पूरी तरह आश्रित थे जब वह जीवित था, बशर्ते कि मृतक कर्मचारी ने अपने पीछे न अपनी विधवा न बच्चा छोड़ा हो। इसमें पिता से पहले माता को पेंशन मिलेगी।

अतः, यदि मृतक सरकारी कर्मचारी के कोई विधवा /विधुर या बच्चा नहीं हो, तो उसके आश्रित माता–पिता सीधे पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। अगर मृतक सरकारी कर्मचारी के विधवा/विधुर या बच्चा हो. परन्तु बाद मैं विधवा/विधुर की मृत्यु या पुनर्विवाह और/या बच्चे/बच्चों (विकलांग बच्चे सहित) की मृत्यु या अपात्र हो जाने के कारण परिस्थिति बदल जाती है, तो आश्रित माता–पिता परिवार पेंशन के लिए पात्र हो जाते हैं। विधवा, जिसके कोई बच्चा न हो, उसके पुनर्विवाह के बाद भी परिवार पेंशन के लिए पात्र रहती है! ऐसी परिस्थिति में मृतक कर्मचारी के माता–पिता परिवार पेंशन के लिए तभी पात्र हो सकते हैं जब उस विधवा (जिसके कोई बच्चा नहीं है) की मृत्यु हो जाए या उसकी निजी आय, अन्य सभी श्रोतों से, आश्रितता के लिए निर्धारित सीमा के बराबर या अधिक हो जाए।

(iii) 30.8.2004 से फैमिली पेंशन पात्र विधवा/तलाकशुदा बेटियों को दी जा सकती है यदि सरकारी कर्मचारी/पेंशनर की मृत्यु उस तिथि से पहले हो गई हो।

(iv) बच्चों को फैमिली पेंशन देय होती है क्योंकि वे सरकारी कर्मचारी/पेंशनर या उसके 'पति/पत्नी पर आश्रित समझे जाते हैं। केवल वही बच्चे फैमिली पेंशन के लिए पात्र होते है जो सरकारी कर्मचारी या उसके पति/पत्नी की मृत्यु (जो बाद में हो) के समय आश्रित हों तथा फैमिली पेंशन के लिए पात्रता की अन्य शर्तों को पूरा करते हों। यदि उस समय दो

या उससे अधिक बच्चे पात्र हों, तो फैमिली पेंशन प्रत्येक बच्चे को उसकी बारी आने पर दी जाएगी बशर्ते कि जब उसकी.बारी आती है तब वह पात्र है।

अतः, फैमिली पेंशन विधवा/तलाकशुदा बेटी को देय होगी बशर्ते कि वह माता–पिता की मृत्यु/अपात्रता के समय और अपनी बारी के आने की तिथि के पात्र हों।

किसी तलाकशुदा बेटी को परिवार पेंशन मंजूर की जा सकती है यदि तलाक का मुकदमा किसी सक्षम न्यायालय में कर्मचारी/पेंशनर या उसके पति/पत्नी के जीवन काल में दायर किया जा चुका हो, लेकिन तलाक (आदेश/फैसला) उसकी मृत्यु के बाद हुआ हो ऐसे मामले में परिवार पेंशन तलाक के आदेश की तिथि से शुरु होगी।

(v) पेंशनर/कर्मचारी के परिवार के सभी सदस्यों का विवरण PPO पर दर्शाया जाता है। मृतक पेंशनर/कर्मचारी की पत्नी/पति को भी यह सुविधा प्राप्त है कि वह पात्र बच्चों (विकलांग बच्चों सहित) का विवरण पेंशन जारीकर्ता अधिकारी (PSA) को PPO पर दर्शाने हेतु दे सकते हैं, यदि पेंशनर/कर्मचारी ने ऐसा न किया हो हालांकि विकलांग आश्रित बच्चों को नियमानुसार उनकी बारी आने पर ही परिवार पेंशन मिलेगी जहाँ परिवार का कोई सदस्य (जैस तलाकशुदा/विधवा/कुंवारी पुत्री या माता–पिता या आश्रित अपंग सहोदर) PPO जारी होने के बाद पात्र होता है तो पेंशनर या उसका पति/पत्नी या परिवार का सदस्य (यदि पेंशनर या उसके पति/पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो) ऐसे सदस्यों का विवरण पेंशन जारीकर्ता अधिकारी ;ै।द्ध को भेज सकता है। विकलांग बच्चों/भाई–बहनों या माता–पिता का विवरण च्च्ब् में पहले से भी दर्ज करवाया जा सकता है, ऐसे मामले में उन्हें (उनकी बारी आने पर) बिना किसी अनुमोदन की आवश्यकता के परिवार पेंशन का भुगतान किया जाएगा जब उनसे पहले का दावेदार अपात्र हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए।

(vi) यदि पेंशनर तथा उसके जीवनसाथी का (पेंशन के लिए) संयुक्त खाता है, फार्म 14 देने की आवश्यकता नहीं है। जीवनसाथी (पति/पत्नी) बैंक को पेंशनर की मृत्यु के बारे में सूचना दे सकता है और एक साधारण पत्र द्वारा परिवार पेंशन को आरंभ करने की प्रार्थना कर सकता है। इस पत्र के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि, PPO उसकी आयु/जन्म तिथि का प्रमाण तथा अधिक भुगतान की वसूली के लिए वचनपत्र (undertaking) लगाया जाना चाहिए।

(vii) यदि पेंशन (पेंशनर और उसके जीवनसाथी के) संयुक्त बैंक खाते में जमा नहीं की जा रही है, तो फार्म 14 दो व्यक्तियों की गवाही (witness) तथा संबंधित दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। अब प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(viii) परिवार पेंशनरोंके दावे स्वीकार करने के लिए विभागाध्यक्ष/पेंशन वितरण प्राधिकारी, PAN Card, मैट्रिक प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, CGHS कार्डए Driving License, Voter Identity Card या आधार कार्ड जैसे दस्तावेज स्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा, परिवार पेंशन अनुमोदन करते समय ही जन्मतिथि निर्धारित कर ली जानी चाहिये, चूँकि बाद में अतिरिक्त परिवार पेंशन के लिए इसकी आवश्यकता पड़ सकती है।

यदि उपरोक्त में से कोई भी दसतावेज प्रस्तुत नहीं किया जाए तो प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा निर्णय किया जाएगा।

आवेदक को ऐसे दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होते हैं, जैसे कि अन्य पारिवारिक सदस्यों, जिनकी पात्रता पहले है, के विवाह/मृत्यु/आय के प्रमाणपत्र, जिनके द्वारा यह सिद्ध किया जा सके कि वे परिवार पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं।

(ix) सभी स्थितियों में, परिवार पेंशन मूल वेतन (अर्थात वेतन मैट्रिक्स में वेतन) पर 30% की समान दर से गणित की जायेगी बशर्ते न्यूनतम 9,000रु. और अधिकतम 75,000रु प्र. मा. होगी।

नोट : 31.12.2015 तक, परिवार पेंशन, पेंशनर/मृतक सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन (अर्थात बैंड वेतन + ग्रेड वेतन) के 30% से कम नहीं होती थी।

(x) जिस सरकारी कर्मचारी/पेंशनर की मृत्यु सरकारी सेवा की वजह से न होकर अन्य प्राकृतिक कारणों से हुई हो, उसे ऊपर (ix) में वर्णित नियमों के अनुसार सामान्य दरों पर फैमिली पेंशन मिलेगी।

यदि मृत्यु अन्य कारणों से हुई हो तो वह कर्मचारी extraordinary फैमिली पेंशन अथवा उदारीकृत pensionary awards scheme प्राप्त करने का हकदार होगा जिसका इस अध्याय में बाद में उल्लेख किया गया है।

(xi) यदि सरकारी कर्मचारी 1.1.2006 को असाधारण छुट्टी (EOL) पर था (अवधि अर्हता सेवा के लिए गणित नहीं) और तत्पश्चात बिना ड्यूटी पर आये उसकी मृत्यु हो जाती है, तो परिवार पेंशन उपरोक्त तरीके से 1.1.2006 से notionally संशोधित मूल वेतन पर की जायेगी।

(xii) यदि सरकारी कर्मचारी 1.1.2006 को असाधारण छुट्टी पर/अनाधिकृत अनुपस्थित था (अवधि qualifying service के लिए गणित नहीं) और उसके उपरान्त ड्यूटी पर उपस्थित हुए बिना उसकी मृत्यु हो जाती है, तो परिवार पेंशन की गणना उस मूल वेतन के आधार पर होगी जो वह छुट्टी पर जाने से तुरन्त पहले प्राप्त कर रहा था और उसे उपरोक्त तरीके से संशोधित किया जाएगा।

नोट : उपरोक्त (xi) और (xii) में उक्त आदेश 1.1.2016 को

ऐसी ही परिस्थिति में VII CPC के तहत भी लागू होंगे।

(xiii) अतिरिक्त परिवार पेंशनः वरिष्ठ परिवार पेंशनरों की परिवार पेंशन की राशि निम्न प्रकार से बढ़ा दी जाएगीः–

परिवार पेंशनर की आयु	अतिरिक्त परिवार पेंशन
80 साल या अधिक परन्तु 85 साल से कम	मूल परिवार पेंशन का 20%
85 साल या अधिक परन्तु 90 साल से कम	मूल परिवार पेंशन का 30%
90 साल या अधिक परन्तु 95 साल से कम	मूल परिवार पेंशन का 40%
95 साल या अधिक परन्तु 100 साल से कम	मूल परिवार पेंशन का 50%
100 साल या अधिक	मूल परिवार पेंशन का 100%

अतिरिक्त परिवार पेंशन उस महीने की एक तारीख से देय होगी जिसमें प्राप्तकर्ता निर्धारित आयु का होता है। अतिरिक्त परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत भी देय होगी।

यदि PPO में परिवार पेंशनर (पति/पत्नी या माता–पिता) की जन्म तिथि दर्ज करने में कोई वास्तविक त्रुटि हो गई हो, तो पेंशनर/परिवार पेंशनर जन्म–तिथि/आयु के परिवर्तन के लिए विभागीय प्रमुख को (जहाँ कर्मचारी ने अंतिम सेवा प्रदान की थी) non-judicial stamp paper पर घोषणा पत्र और आयु के साक्ष्य के रुप में निम्न में से कोई दस्तावेज के साथ निवेदन कर सकता हैः PAN कार्ड, मैट्रिक प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, CGHS कार्ड, Driving License, Voter's ID Card और आधार संख्या।

ये आदेश एक परिवार पेंशनर के लिए PPO जारी/संशोधित करते समय लागू होंगे, उस समय उसकी आयु को ध्यान में रखे बिना यदि PPO/कार्यालय रिकार्ड में सही जन्म–तिथि उपलबध न हो, तो 1 जनवरी को परिवार पेंशनर की आयु को पिछले वर्ष में पूरी की गई आयु के बराबर मान लिया जाएगा।

टिप्पणी : पुराने पेंशनरों की अतिरिक्त पेंशन से संबंधित निर्देश (''सेवानिवृत्ति लाभ'' अध्याय में वर्णित) परिवार पेंशनरों के मामलों में भी लागू होंगे।

(xiv) निम्नलिखित मामलों में उच्च दर पर परिवार पेंशन दी जाती हैः

परिस्थिति	उच्च दर पर परिवार पेंशन	
	31.12.2015 तक	1.1.2006 से
(a) कर्मचारी की कम से कम 7 वर्ष की लगातार सेवा के बाद सेवा के बाद सेवा के दौरान मृत्यु होना	अंतिम प्राप्त वेतन का 50% अथवा सामान्य परिवार पेंशन, जो भी कम हो।	नए वेतन ढांचे में मूल वेतन 50% न्यूनतम 9,000रु प्र. मा. और अधिकतम 1,25,000 रु।
(b) सेवानिवृत्त के बाद मृत्यु होना	अंतिम प्राप्त वेतन का 50% अथवा परिवार पेंशन, अथवा सेवानिवृत्ति पेंशन, जो भी कम हो।	
(c) कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी की कम से कम 7 वर्ष की लगातार सेवा में बाद मृत्यु	अंतिम प्राप्त वेतन का 50% अथवा सामान्य परिवार पेंशन का 1.5 गुना, जो भी कम हो।	

मृतक कर्मचार के परिवार को मिलने वाले लाभ

उच्च दर पर परिवार पेंशन कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से (अगर मृत्यु 1.1.2006 को या उसके बाद हुई हो) 10 वर्ष तक दी जाएगी (अगर मृत्यु 1.1.2006 से पूर्व हुई हो तो 7 साल तक) यदि कर्मचारी की मृत्यु 1.1.2006 से पहले हुई हो परन्तु 1.1.2006 को 7 साल की अवधि पूरी नहीं हुई हो तो उचच परिवार पेंशन 10 वर्ष्ज्ञ के लिये देय होगी।

ऊपर उल्लिखित अवधि समाप्त होने के बाद परिवार को सामान्य दर पर परिवार पेंशन मिलेगी।

नोट : माता–पिता को नियम 54(2) के अंतर्गत केवल सामान्य दर पर परिवार पेंशन मिलेगी।

(xv) यदि एक पेंशनर 1.1.2006 को या उसके बाद मृत्यु हो गई है तो परिवार पेंशनर को संशोधित (updated) परिवार पेंशन (बढ़ी हुई पेंशन सहित, जहां लागू हो) पेंशनर की मृत्यु की तिथि ये देय होगी।

(xv) परिवार पेंशन मे एक रुपए के संख्यांश को अगले रुपए round off में किया जाएगा।

परिवार पेंशन का भगतान और भुगतान की अवधि (1.1. 2006 से)

(i) आश्रित माता–पिता, कुंवारी/तलाकशुदा/विधवा पुत्री को मृत्यु तक परिवार पेंशन मिलती रहेगी।

(ii) वर्ग–II में कुंवारी/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों और आश्रित माता–पिता को परिवार पेंशन तभी मिलेगी जब वर्ग–I के दूसरे पात्र पारिवारिक सदस्य पात्रता से अयोग्य हो गए हों। संबद्ध वर्गों में बच्चों को परिवार पेंशन उनकी जन्म–तिथि के क्रम से मिलेगी। छोटा बच्चा परिवार पेंशन के लिए तभी योग्य होगा जब उससे तुरन्त बड़ा बच्चा उस वर्ग में अयोग्य हो गया हो।

(iil) परिवार पेंशन के प्रयोजन के लिये आश्रिता का आधार न्यूनतम परिवार पेंशन + उस पर महंगाई राहत होगा।

(iv) मृतक सरकारी कर्मचारी की विधवा जिसके कोई बच्चा न हो, को पुनः विवाह उपरांत भी परिवार पेंशन मिलती रहेगी, परन्तु जब उसकी सभी श्रोतों से निजी आय, केन्द्रीय सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतक परिवार पेंशन के बराबर या उससे अधिक हो जाये तो परिवार पेंशन बंद हो जाएगी। इन स्थितियों में परिवार पेंशनर को हर छठे महीने अपनी दूसरे श्रोतों से आय के बारे में घोषणा पत्र पेंशन वितरण प्राधिकारी को देना होगा।

1.1.2006 से पूर्व मृत सरकारी कर्मचारी की विधवा, जिसका कोई बच्चा न हो, उसकी पुनर्विवाह की तिथि को ध्यान में रखें बिना, भी परिवार पेंशन के लिए पात्र होगी, यदि उपरोक्त शर्तें पूरी होती हों। ऐसे मामले में परिवार पेंशन 1.1.2006 से शुरु होगी।

(v) अपंग बच्चे/सहोदर भाई या बहन जीवन पर्यन्त परिवार पेंशन प्राप्त करने के पात्र होंगे।

अन्य शर्तें

(i) नाबालिग बच्चे को परिवार पेंशन guardian की मार्फत दी जाएगी।

(ii) मानसिक रुप से विकलांग पुत्र/पुत्री के मामले में परिवार पेंशन मृत्यु के बाद कर्मचारी/पेंशनर द्वारा मनोनीत व्यक्ति अथवा कर्मचारी के spouse अथवा परिवार के सदस्य द्वारा मनोनीत व्यक्ति को दी जायेगी।

मानसिक रुप से विकलांग व्यक्तियों के संबंध में, परिवार पेंशन देने के लिए अभिभावक के नामांकन/नियुक्ति के लिए National trust Act, 1999 के तहत दिया गया अभिभावकता प्रमाणपत्र स्वीकृत होगा।

(iii) विकलांग पुत्र अथवा पुत्री की ओर से फैमिली पेंशन प्राप्त करने वाले guardian को सिविल सर्जन से हर तीन साल में लगातार विकलांग रहने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(iv) सरकारी कर्मचारी/पेंशनर के असक्षम (handicapped)] viax (disabled) पुत्र/पुत्री की परिवार पेंशन के मामले में, पुत्र या पुत्री (या उसके संरक्षक) को प्रत्येक वर्ष कोषागार/बैंक को सक्षम प्राधिकरण (Persons with Disabilities Rules,1996 के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार और Persons with Disabilities Act के उद्देश्यों के लिए एक चिकित्सकीय प्राधिकारी के रुप में विनिर्दिष्ट कोई अस्पताल/संस्थान) द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र और इस आशय का प्रमाणपत्र कि उस पुत्र/पुत्री ने अपनी जीविका अर्जित करना शुरु नहीं किया है देने होंगे, बशर्ते कि वर्ष के दौरान किसी भी समय उपरोक्त घटना घटित होने पर, उसकी सूचना कोषागार/बैंक को दी जाएगी।

(v) PPO में पहले शामिल नहीं किए गए पात्र विकलांग बच्चों का विवरण मृतक पेंशनर के spouse द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

(vi) कानूनी रुप से अलग हो गया ंचवनेम फैमिली पेंशन पाने का हकदार है, (a) यदि वह adultery के आधार पर अलग नहीं किया गया हो, अथवा (b) spouse का कोई बच्चा न हो या, यदि उसका बच्चा है तो वह उस बच्चे का/की guardian है। यदि उस बच्चे का guardian कोई और हो, तो फैमिली पेंशन उस guardian को दी जाएगी। यदि ऐसा बच्चा या बच्चे फैमिली पेंशन के पात्र न रहे तो फैमिली पेंशन कानूनी रुप से अलग हुए spouse को, उसकी मृत्यु अथवा पुनर्विवाह होने तक, जो भी पहले हो, देय हो जाएगी।

(vii) यदि पति एवं पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हों, तो जीवित spouse वेतन/पेंशन तथा फैमिली पेंशन दोनों ले सकता है। अपनी पेंशन तथा फैमिली पेंशन के लिए न्यूनतम सीमा अलग–अलग लागू होगी।

यदि दोनों की मृत्यु हो जाती ै, तो पात्र बच्चा या बच्चे दो फैमिली पेंशन ले सकता है। एक परिवार पेंशन के लिए पात्रता निर्धारित करते हुए दूसरी परिवार पेंशन को आय के रुप में नहीं जोड़ा जायेगा। दोनों पेंशन अधिकतम 15,000रु प्रतिवर्ष (जबकि कम से कम दोनों में से एक उच्चतम डिपसल चमदेपवद हो) या 11,000रु प्रतिवर्ष (जब दोनों सामान्य family pension हो) होगी।

(viii) निलंबन के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में परिवार के पात्र सदस्य को फैमिली पेंशन मिलेगी।

(ix) यदि फैमिली पेंशन पाने के लिए पात्र किसी व्यक्ति पर कर्मचारी की हत्या करने अथवा हत्या के लिए उकसाने का आरोप हो, तो उसे मिलने वाली फैमिली पेंशन (परिवार के अन्य सदस्यों का हिस्सा मिलाकर) मुकदमे की समाप्ति तक रोक दी जाएगी।

(x) यदि कर्मचारी कोई घोटाला करने के बाद गायब होता है तो फैमिली पेंशन उसे कोर्ट से बरी होने अथवा विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही दी जाएगी।

(xi) PSU तथा स्वायत्त निकायों में विलयित (absorbed) कर्मचारी के मामले में फैमिली पेंशन कुछ शर्तों पर दी जाएगी, जैसे वह कर्मचारी PSU/स्वयत्त निकाय अथवा कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम से फैमिली पेंशन का हकदार नहीं है और संबंधित सरकारी भविष्य निधि आयुक्त से उक्त अधिनियम से छूट प्राप्त करने के बाद केन्द्रीय सरकारी फैमिली पेंशन योजना का विकल्प चुनता है।

(xii) फैमिली पेंशन उन spouse तथा बच्चों को स्वीकृत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद पति/पत्नी बने अर्थात् जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद विवाह किया और सेवानिवृत्ति के बाद बच्चे पैदा हुए।

(xiii) मृत कर्मचारी/पेंशनर के नाजायज/अमान्य विवाह के परिणामस्वरुप हुये बच्चों को फैमिली पेंशन दी जाएगी। नाजायज शादीशुदा पत्नी से बच्चों को उनका हिस्सा, जायज पत्नी के बच्चों के साथ CCS (Pension) Rules] 1972 के नियम 54(7)(2) के अनुसार देय होगा।

(xiv) यदि पेंशनर की commutation का विकल्प चुनने से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 40% commutation का लाभ नहीं दिया जाएगा।

(xv) 27.12.2012 से, एक व्यक्ति दो परिवार पेंशन प्राप्त कर सकता है। फैमिली पेंशन उस व्यक्ति को दी जा सकती है जो पहले से ही फैमिली पेंशन प्राप्त कर रहा है अथवा जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/किसी PSU/स्वायत्त निकाय से फैमिली पेंशन का हकदार है।

(xvi) फैमिली पेंशन योजना, 1971 तथा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत फैमिली पेंशन CCS (Pension) Rules] 1972 के नियम 54 के अंतर्गत फैमिली पेंशन के अतिरिक्त दी जाएगी, चाहे पेंशनर की सेवानिवृत्ति/मृत्यु के मामले में दूसरी फैमिली पेंशन केवल 27.7.2001 से दी जाएगी। ये निर्देश उन केन्द्र सरकार कर्मचारियों के लिए लागू होंगे जो PSU/autonomous body में स्थायी/रुप से विलयित हो गए थे।

(xvii) सभी मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं कि फैमिली पेंशन के मामले शीघ्र निपटाये जाएं ताकि मृत कर्मचारी के परिवार को असुविधा और कठिनाई न हो।

पुनर्नियुक्त Military पेंशनर की स्थिति में फैमिली पेंशन (27.12.2012 से)

27.12.2012 से नियम 54(13A) को निरस्त कर दिया गया है। अतः यदि कोई पेंशनर सैनिक और/या नागरिक सेवा के लिए दो पेंशन ले रहा था, ले रहा है या भविष्य में ले, तो ऐसे में दो परिवार पेंशन स्वीकार्य होगी।

एक पेंशनर की मृत्यु होने पर, जो कि सिविल सेवा में पुनर्नियुक्त था, जहाँ मृत्यु सरकारी सेवा कारण हुई हो, पिछली सिविल/सैन्य सेवा के लिए साधारण परिवार पेंशन के अलावा पुनर्नियुक्त सेवा संबंध में CCS (Extraordinary) Pension Rules के तहत परिवार पेंशन स्वीकृत होगी। हालांकि यदि सेवा के पहले काल के संबंध में परिवार असाधारण परिवार पेंशन के लिए पात्र हो, तो सेवा दूसरे काल के लिए CCS (Pension) Rules के तहत परिवार पेंशन स्वीकार्य होगी। असाधारण परिवार पेंशन केवल एक सेवा के लिए ही प्रदान की जाएगी।

गुमशुदा कर्मचारी/पेंशनर/परिवार पेंशनर क मामले में उपदान/परिवार पेंशन का भगतान

(1) एक गुमशुदा कर्मचारी/पेंशनर/परिवार पेंशनर के मामले में, उसके परिवार को संबद्ध पुलिस थाने में रपट दर्ज करनी चाहिये और उसकी एक प्रति First Information Report (FIR) या Daily Diary (DD) या General Diary Entry (GDE) के रूप में प्राप्त करनी चाहिये, जिसमें यह कहा गया हो कि सभी प्रयास करने के बावजू वे उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ सके हैं।

(2) पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने के छः महीने बाद, परिवार परिवार पेंशन, वेतन देय, छुट्टी नकदीकरण, GPF, उपदान, जिसका भुगान नहीं हुआ है, दिये जाने के लिए निर्धारित प्रारुप में एक Indemnity Bond के साथ आवेदन कर सकता है। आवेदन उस संगठन के कार्यालय प्रमुख को किया जाएगा जहाँ अंतिम सेवा प्रदान की गई थी।

(3) एक गुमशुदा कर्मचारी के मामले में, जिस दिन तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है या छुट्टी समाप्त हुई या पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जो भी बाद में हो, उस दिन से परिवार पेंशन देय होगी।

(4) एक गुमशुदा पेंशनर/परिवार पेंशनर के मामले में, जिस दिन तक पेंशन/परिवार पेंशन का भुगतान किया जा चुका है या पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जो भी बाद में हो, उस दिन से परिवार पेंशन देय होगी।

(5) सेवानिवृत्ति उपदान (सरकारी देय समायोजित करने के बाद) आवेदन से 3 महीने के भीतर भुगतान की जाएगी, देरी होने पर ब्याज सहित। मृत्यु उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान के अंतर का भुगतान कर्मचारी की मृत्यु की अंतिम रूप से पुष्टि हो जाने या पुलिस रिपोर्ट की तिथि से सात वर्ष के बाद किया जाएगा।

(6) अन्य देय राशि का भुगतान पुलिस रिपोर्ट और indemnity bond दाखिल करने पर नामांकन के अनुसार किया जाएगा।

(7) सभी लाभ कर्मचारी द्वारा प्राप्त अंतिम परिलब्धियों पर आधारित होंगे।

नोट : उपरोक्त आदेश उन मामलों में लागू नहीं होंगे जब कर्मचारी घोटाला/अपराध आदि करके गायब हुए हों।

महंगाई राहत

फैमिली पेंशनरों को पेंशनरों की तरह महंगाई राहत दी जाती है। इसके अलावा नौकरी करने वाले फैमिली पेंशनरो को 18.7.1997 से उनकी फैमिली पेंशन पर लागू दरों पर महंगाई राहत मिलेगी। इसके लिए उनको आश्रित होने का प्रमाणपत्र देना आवश्यक होगा।

EXTRAORDINARY फैमिली पेंशन

निम्नलिखित नियम 31.12.2003 को या इसके पहले नियुक्त किये गये सरकारी कर्मचारियों के मामले में लागू है।

(i) यदि मृत्यु का कारण सरकारी सेवा की परेशानियां रही हो अथवा ड्यूटी के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई हो, तो spouse और बच्चों को extraordinary फैमिली पेंशन मिलेगी।

(ii) जिस परिवार को extraordinary फैमिली पेंशन मिलती है, उसे ''फैमिली पेंशन स्कीम 1964'' के अंतर्गत मिलने वाले लाभ नहीं मिलेंगे।

(iii) 1.1.2016 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त/मृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में, परिवार पेंशन बिना पेंशन वाले पदों के लिए मूल वेतन का 40%

न्यूनतम 11,700 रु और और पेंशन वाले पदों के लिए मूल वेतन का 60% न्यूनतम 18,000 रु होगी।

परिवार पेंशन का भुगतान बच्चों को (जहाँ विधवा की मृत्यु हो जाती है/वह पुनर्विवाह कर लेती है) या बिना पिता के/बिना माता के बच्चों को उसी दर पर किया जाएगा जिस पर विधवा को किया जाता है। परन्तु आश्रित माता–पिता/बहनों/भाईयों आदि को परिवार पेंशन का भुगतान विधवा को दी जाने वाली राशि के 50% पर किया जाएगा।

यदि सरकारी कर्मचारी की विधवा जीवित नहीं है, परन्तु बच्चे जीवित हैं, तो सभी बच्चे मिलकर मूल वेतन के 60% न्यूनतम 7000 रु की दर से परिवार पेंशन के लिए पात्र होंगे।

यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु अविवाहित/विधुर बिना बच्चों के हो जाती है तो परिवार पेंशन का भुगतान माता–पिता को 1.1.2016 को काल्पनिक वेतन के 75% पर किया जाएगा यदि दोनों जीवित हों और 60% किया जाएगा यदि दोनों में से कोई एक जीवित हो।

नोट : (1) 1.1.2016 से मूल वेतन का अर्थ है वेतन लेवल में वेतन।

(2) 1.1.2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के मामले में, परिवार पेंशन को 1.1.2016 को उसके काल्पनिक वेतन पर संशोधित किया जाएगा।

सरकारी हवाई जहाज में यात्रा के दौरान मृत्यु होने पर Ex-gratia का भुगतान

(i) यदि कर्मचारी की मृत्यु ड्यूटी करते हुए सरकारी हवाई जहाज के दौरान दुर्घटना में हुई हो, तो उसके परिवार को असाधारण पेंशन, नियमों के अंतर्गत मिलने वाले लाभों के अलावा Ex-gratia के रूप में 5,00,000रु दिए जाएंगे।

(ii) Chartered जहाजों में non-scheduled उड़ानों द्वारा यात्रा के दौरान मृतक कर्मचारी के परिवार को भी ऊपर उल्लिखित Ex-gratia मिलेगा।?

ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर Ex-gratia

(i) जिस कर्मचारी की मृत्यु bonafide official ड्यूटी का निर्वाह करते समय हई हो, उसके परिवार को निम्नलिखित Ex-gratia का भुगतान किया जाएगा :

	2.9.2008 से 31.12.2015 तक	1.1.2016 से
(a) ड्यूटी के निर्वाह के दौरान दुर्घटना में मृत्यु	10 लाख रु	25 लाख रु
(b) उग्रवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हिंसा की कार्यवाही के कारण ड्यूटी के निर्वाह के दौरान हुई मृत्यु	10 लाख रु	25लाख रु
(c) सीमा पर गोलावारी तथा militants, उग्रवादियों, आतंकवादियों आदि के विरुद्ध कार्यवाही के दौरान हुई मृत्यु	15 लाख रु	35 लाख रु
(d) विर्निदिष्ट, high altitude, दुर्गम सीमा चौकियों, आदि पर ड्यूटी करते समय, प्राकृतिक आपदाओं, बहुत खराब मौसम की वजह से मृत्यु होने पर	15 लाख रु	35 लाख रु
(e) युद्ध, आदि के दौरान शत्रु की कार्यवाही में मृत्यु	15 लाख रु	45 लाख रु

(ii) यदि केन्द्रीय सरकार सिविल कर्मचारी की मृत्यु ड्यूटी पर यात्रा करते समय रेल दुर्घटना में होती है तो Ex-gratia में से रेलवे से प्राप्त मुआवजे की राशि घटा दी जाएगी।

(iii) जब मृत सरकारी कर्मचारी के परिवारों को प्रधानमंत्री सहायता कोष, मुख्यमंत्री सहायता कोष आदि से भी राहत मिलती है, तो Ex-gratia मुआवजे की राशि बिना किसी सीमा (ceiling) के स्वीकृत की जाएगी।

बर्मा परिवार पेंशनरों के मामले में *Ex-gratia*

बर्मा परिवार पेंशनरों को ex-gratia इस तरह से दिया जा रहा है कि 1.1.2006 को बर्मा परिवार पेंशन और ex-gratia 3500 रु हो तथा इस पर समय–समय पर देय महंगाई राहत।

बर्मा परिवार पेंशन के बन्द हो जाने पर भी ex-gratia का भुगतान जारी रहेगा।

केन्द्रीय सरकारी र्कचारी समूह बीमा योजना (C.G.E.G.I.S.) अदायगी

यदि कर्मचारी इस योजना का सदस्य था तो उसके मनोनीत/उत्तराधिकारी को कर्मचारी की मृत्यु पर निम्नलिखित राशियां प्राप्त करने का अधिकार होगा–

(a) बीमा राशि, तथा

(b) ब्याज सहित बचत निधि में जमा राशि

यदि कर्मचारी की मृत्यु सदस्य बनने से पहले हो जाती है तो केवल बीमा राशि दी जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत विलम्ब ये किए गए भुगतान के लिए कोइ ब्याज नहीं दिया जाएगा।

पूर्ण विवरण के लिए 'भविष्य निधि तथा बीमा' अध्याय देखिए।

बाकी अगले अंक में

A Meeting To Discuss Important Agenda Points with Shri Giridhar Aramane, IAS (Defence Secretary)

1. **Granting of compassionate appointments to the wards of employees of Ordnance Factories & DGEME who died in harness or medically boarded out :-** It is very painful to note that none of the dependents of employees of DGEME and Ordnance Factories, hospitals & schools has been given compassionate appointment in last 02 years. Even cases of such wards are pending who have been selected for compassionate appointment and their Police Verification Report (PVR) is submitted to concerned factories/establishments.

2. Notional extension of Court judgments to similarly placed non-petitioners in MOD :- It is observed that the employees are being compelled to file litigations to get the similar benefits which are already granted by the Courts/Tribunals to similarly placed other employees of same Establishment/HQrs/Department. For example; (1) Payment of Dress Allowance to industrial employees of MES, DGOS, Ordnance Factories, etc. (2) Payment of Overtime Allowance (including arrears w.e.f. 01.01.2006) in Ordnance Factories including HRA, Transport Allowance & Small Family Allowance.

3. Payment of Night Duty Allowance to Defence Civilians at par with Railways' employees :- NDA is being granted to all eligible non-gazetted employees of Ministry of Railways upto Pay Level — 7 (including those who are granted the benefit of MACP in Pay Level – 8). However, maximum Basic Pay for working out hourly rate of NDA shall remain Rs. 43600/- i.e. the prescribed ceiling fixed vide Board's letter of even number dt. 29.09.2020. But the defence civilians are eligible for NDA, if their basic pay exceeds Rs. 43600/-, though they have to perform night duty. This discrimination should be stopped forthwith.

4. Promotion to the post of MCM & Chargeman in DGEME & DGOS : - No vacant post of Master Craftsman & Chargeman in EME Workshops & DGOS is being filled up by promotion w.e.f. 14.06.2010 on the plea that Recruitment Rules have not been framed/ revised. These 14 years should be sufficient time for DGEME/DGOS/MOD/GoI to frame/revise a Recruitment Rule.

5. Filling of vacant posts of defence civilians through Direct Recruitment :- As per the DoPT F.No. 43014/03/2019-Estt(B), dated 21.01.2020, all Ministries /Departments have been requested to fill existing vacancies in a time-bound manner. I am writing to express our deep concern regarding the decision by the Ministry of Defence, to refrain from filling the vacancies for defence civilians in the Indian Army/Air Force/Navy, as ordered vide MoD ID No. 17(03)/2022/D(Civ-II), dated 15th July 2022. Earlier, due to the recommendations put forth by the Shekatkar Committee, already 32,000 posts of defence civilians in the Indian Army has been abolished.

6. Leave Encashment for re-employed Ex-Servicemen (PBORs): It is requested that re-employed ex-servicemen, be granted leave encashment up to 300 days, excluding the number of days that were encashed at the time of their retirement from the Army/Air Force/Navy.

7. Payment of PLB to DGEME's employees: The Productivity Linked Bonus has been a longstanding tradition and a source of motivation for the employees who work tirelessly to contribute to the overall objectives and success of the organization. The timely disbursement of PLB not only recognizes their hard work and dedication but also enhances their morale and festive spirit. In light of the above, we kindly request your intervention and prompt action to ensure that the employees of DGEME receive their Productivity Linked Bonus, not less than Adhoc Bonus.

8. Coast Guard related issues: (a) Implementation of MoD instruction on the restructuring of Cadre of Technical Tradesman in Defence Establishments in modification of 6th CPC introduced vide MOD letter No. 11(5)/2009/D (Civ-I), dated 14.06.2010 in respect of Coast Guard employees; (b) Formation of Social Dialogue Mechanism like JCM, Works Committee, Welfare Committee etc. in Coast Guard establishments; (c) Membership verification for recognition of trade unions in Base Maintenance Unit, Chennai.

9. Conversion from NPS to OPS: The Department of Defence Production & Supplies, Ministry of Defence, vide File No. 1640/D(QA)/2002, Dated 20.05.2003, released a significant number of Group 'B,' 'C,' and 'D' posts to the Ordnance Factory Board (OFB) for direct recruitment for the years 2000-01, 2001-02, 2002-03, and 2003-04, totaling 7354 vacancies. Subsequently, the OFB granted approval for the filling up of various Non-Gazetted Officers (NGOs), Non-Industrial Employees (NIEs), and Industrial Employees (IEs) posts. All these employees should be brought under the coverage of CCS (Pension) Rules, 1972 (OPS) from NPS.

❐

Cyber Security Group Advisory on Description of Job Profile on Social Media Accounts of Govt. Employees

DO's and DON'Ts for Social Media Usage

Do's

1. Be sure that you know the difference between 'fact' and 'opinion'.
2. Make sure to clarify that you are not representing the position of the Government.
3. Always remember that you are Personally responsible for the content you publish on blogs, wikis, or any other platform or in any form of user-generated content.
4. Make sure that the family and friends are also sensitized on the risks involved in Social Media, as they too possess sensitive information at times. Be sure to protect the privacy of you family and friends, as carefully as your own.
5. Ensure location services and geo-tagging features are off and switched on, only when required.
6. Avoid using location services and geo-tagging features while utilizing social media sites.
7. Be aware of who can see your account. Keep the setting to private and keep the content appropriate.
8. Use adequate protection measures for domestic Wi-Fi connections.
9. Remember that anything posted on the electronic media once, even by accident cannot be ever recalled or deleted. Once posted, it is Permanent. Use utmost discretion whilst commenting on sensitive issues, gender issues and controversial issues online.
10. Carefully consider the implications of making friends, linking, following or accepting requests from unknown persons.
11. Do remember that there's no such thing as 'private' social media site. Archival systems save and store information even if you delete a post.
12. Set your site settings so that you can review and approve comments by other users before they appear on your timeline.
13. Create a separate email address that is used only for creating and maintaining social media accounts.

DON'TS

1. Do not share classified information obtained through the official channel or otherwise.
2. Do not reveal exact posting and nature of work if you are posted in a sensitive Ministry / Department / Organization.
3. Do not activate Geo-tagging features when accessing social media sites from place of work.
4. Don't provide personal information that scam artists or identity thieves could use.
5. Do nothing which on your internet social networking that may harm the reputation of the Government or that of your own.
6. Do not make adverse comment on government policies or make Political/ religious statements in any public forum.
7. Don't use the Government emblem, insignia, etc. in your posts.
8. Don't use ethnic slurs, personal insults, obscenity, or engage in any conduct that would be tantamount to unbecoming of a government servant.
9. Do not comment in controversial, sensitive or political matters that may come back to haunt you.
10. Do not share anything through a non-authorised platform even if it is unclassified or innocuous like manpower issues, promotions, local orders, etc. which may give an opportunity to the adversaries in gathering intelligence.
11. Do not unnecessarily post addresses, telephone numbers, bank details etc. as these could make you, your friends and family a target.
12. Do not write or post anything out of anger, spite or under the influence of alcohol.
13. Do not be a bully or discriminate anyone online.
14. Do not carry out financial transactions or official communication on a public WiFi (like airport, railway station, shopping malls, etc)

❐

Government ORDERS

सत्यमेव जयते

F.No.34013/1(S)/2016-Estt (B)Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension Department of Personnel and Training New Delhi the 9th July, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Participation of the Government servants in the activities of RSSS - regarding

The undersigned is directed to refer to the OM No.3/10(S)/66-Estt. (B) dated 30.11.1966, OM No. 7/4/70-Est. (B) dated 25.07.1970 and OM No. 15014/3(S)/80- Estt. (B) dated 28.10.1980 on the above subject.

2. The aforesaid instructions have been reviewed and it has been decided to remove the mention of Rashtriya Swayam Sewak Sangh (R.S.S.S) from the impugned OMs dated 30.11.1966, 25.07.1970 and 28.10.1980.

3. This issues with the approval of Competent Authority.

❐

Memorandum submitted to Finance Minister Govt. of India:

1. The New Pension Scheme should be abolished and the implementation of the Guaranteed Pension Scheme as Old Pension Scheme i.e. CCS Pension Rules 1972 (Now 2021) should be restored.
2. The Eighth Central Pay Commission should be constituted to revise the salaries and allowances of Central Government employees, State Governments employees, and Autonomous Bodies employees. The Pay Commissions not only look into Salaries and Allowances of the employees, but also review the service conditions etc of employees so that the workforce may be well-equipped to meet the evolving needs of society and create an efficient departmental set-up that fulfils the aspirations of the citizens of India. The last revision was based on the 7th Pay Commission recommendations in January 2016. It has been customary to constitute Pay Commissions on every 10 years for above purpose. We urge the immediate constitution of the 8th Pay Commission to ensure revision of Salaries and Allowances by January 2026.
3. There are many Posts lying vacant in various Central Government Departments/Institutions. Due to the retirement of employees at large number and non-filling of posts, the efficiency of the Government Departments is getting affected. We demand immediate action on filling of all the vacancies in order to maintain efficiency of the Government Departments. This will also reduce unemployment.
4. The ceiling of income tax exempted income should be ₹800,000, and the amount of standard deduction should also be increased to provide relief to the employees and to encourage savings amongst them. The monetary ceiling under Section 80 C and 80 D of the Income Tax Act, 1961 should also be enhanced.
5. The Central Employees Group Insurance Scheme 1980 should be revised as per recommendations of 7th CPC. Under CGEGIS, the employees receive insurance amounts of ₹15,000, ₹30,000, ₹60,000, and ₹120,000 respectively as per the recommendations of the fourth pay commission, for which deductions of ₹15, ₹30, ₹60, and ₹120 respectively are made. We demand implementation of the recommendations of the Seventh Pay Commission to enhance the insurance amount to a minimum of ₹15 lakh.
6. Employees retiring one day before i.e. 30 June or 31 December, their date of the annual increment should be given a notional increment for the purpose of pensionary benefits. There is a rule to provide an increment after one full year of successful service.

   The Hon'ble Supreme Court and various High Courts & CAT have given verdicts in favour of the employees in the matter. The employees who have approached the Court have been given this benefit whereas the others are constrained to approach the Hon'ble Court to get similar treatment.
7. The recovery of commutation of pension should be made for 12 years instead of 15 years. The interest rate on the commuted value of the pension is recoverable in 2.66 years. The Commutation Factor is 8.194 (For 61 Year i.e. the next birthday of the employee).
8. Anti-employees, anti-establishment recommendations of Prof K Vijay Raghavan Committee on revamping of DRDO should be scrapped.
9. One time relaxation should be granted in all compassionate ground appointment cases of MoD so that the families of the employees, died in harness, are provided with a source of livelihood.

❐

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

MINISTRY OF DEFENCE (DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION)
(DIRECTORATE OF QUALITY ASSURANCE (NAVAL)
NOTIFICATION (New Delhi, the 12th February, 2024)

S.R.O. 41—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate of Quality Assurance(Naval), (Senior Store Keeper) Group "C" Non-Gazetted posts, Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Superintendent(Stores) in the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate of Quality Assurance (Naval), namely:-

1. Short title and commencement.-

   (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate of Quality Assurance (Naval), Superintendent (Stores) Recruitment Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.-The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc:- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classif-ication	Level in Pay Matrix	Whether selection or non -selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Suprintendant (Stores)	11* (2022) * subject to variation dependent on worload	General Central Service, Group C Non-Gazetted, Non- Ministrial	Level - 4 (Rs. 25500-811000)	Not applicable

Age - limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and education prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period probation if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years of age (Relaxable for the departmental candidates upto forty years and for others in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1 :- The crucial date for determining the age - limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and spiti district of Himachal Pradesh and Union Territories of Ladakh, and Lakshadweep.	(i) 10+2 or equivalent pass from a recognised Board or University; (ii) certificate course in Material Management; and (iii) Two years experience in the Store Keeping or Accountancy. Note: The qualification regarding experience is relaxable for persons to be recorded in writing at the discretion of the competent authority in the case of candidate belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years. Note :- There shall be a mandatory induction training of atleast two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(10)	(11)
By direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental comfirmation Committee (for considering comfirmation) consisting of :- (1) Director or equivalent, Directorate of Quality Assurance (Naval) - Chairpersons; (2) Joint Director or equivalent, Directorate of Quality Assurance (Naval) - Member (3) Deputy Director (Pers), Directorate of Quality Assurance (Naval) - Member; and (4) Deputy Director or equivalent, Directorate of Quality Assurance ((Warship Project)– Member.	Not applicable

'प्रवास'

33 FAD Dapper (पंजाब) में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के सेक्रेटरी श्री बलकार सिंह द्वारा हरियाणा, हिमांचल एवं राजस्थान के कार्यकर्ताओं संग वार्ता

ब्रिगेडियर टी. ललित मोहन, चीफ इंजी. बरेली जोन के साथ भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के कार्यालय मंत्री श्री तनवीरअहमद एवं एम.ई.एस. कर्मचारी संघ बरेली के संयुक्तमंत्री आर. सी. शास्त्री जी वार्ता करते हुए।

23 जुलाई को देश भर में भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम

23 जुलाई को देश भर में भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम

RNI No. MAHBIL/2002/8760 Publication Date : 30 July. 2024
MONTHLY NEWS PAPER
Postal Regd. No. Misc-II/C.P.M//007/K.PH.O./2020 dt 29-12-2020 (for 2021-23)• Posted on Dt. 26,27th Monthly

CONGRATULATIONS

On 27/Jun/2024 Works Committee election held at 23 FAD Jalandar BPMS affiliated union won 4/4 seats

.

On 11/Jul/2024 Works Committee election held at GE(E) Jabalpur MES Kamgar Union affiliated to BPMS won 6/6 seats .

On 09/Jul/2024 in the Works Committee election held at 11BRD Nashik affiliated to BPMS won 8/9 seats .

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएँ हमें इस पते पर भेजिये।

If undelivered please return to :

"Pratiraksha Bharti"

C/o. Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh
2, Naveen Market, Kanpur - 208 001
Mob. : 9450153677, Tel./Fax : 0512-2332222
Website : www.bpms.org.in
E-mail : gensecbpms@yahoo.co.in, cecbpms@yahoo.in

बुक पोस्ट

Publisher and Owner : Bhartiya Pratiraksha Mazdoor Sangh, 2 Naveen Market, Kanpur-208001
Printed at Chhaya Press 8/208, Arya Nagar, Kanpur-208002 ● Mob. : 9839223650